**E-ISSN:** 2706-8927
**P-ISSN:** 2706-8919
www.allstudyjournal.com
IJAAS 2021; 3(1): 280-286
Received: 14-11-2020
Accepted: 02-01-2021

**देवेन्द्र कुमार पाण्डेय**
शोधार्थी, समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

**डॉ. महानंद द्विवेदी**
प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय शहीद केदारनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मऊगंज, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

**Corresponding Author:**
**देवेन्द्र कुमार पाण्डेय**
शोधार्थी, समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

# रीवा जिले के जवा विकासखण्ड में व्यक्तियों व समाज के विरूद्ध अपराध – एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

## देवेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं डॉ. महानंद द्विवेदी

**सारांश**
इस शोध पत्र के द्वारा रीवा जिले के जवा विकासखण्ड में व्यक्तियों व समाज के विरूद्ध अपराधः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन किया गया है। अध्ययन के दौरान देखा गया कि शोध क्षेत्र में शोध क्षेत्र के समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से इस सन्दर्भ में अध्ययन के समय जानकारी प्राप्त की गयी जिसमें 56.00 प्रतिशत लोगों द्वारा क्षेत्र में अपराध घटित होते हैं के सम्बन्ध में हाँ बताया गया है और 44.00 प्रतिशत ने नहीं। बुद्धिजीवी वर्ग के 18 प्रतिशत, 19 प्रतिशत नौकरी पेशा, 17 प्रतिशत व्यापारी वर्ग और 35 प्रतिशत जनप्रतिनिधि व अन्य वर्ग के लोगों द्वारा बताया गया कि अपराधी समाज में ही रहने वाले होते हैं उत्तर हाँ में दिया गया है। 63 प्रतिशत लोगों का यह मानना है कि वर्तमान समय में लोगों में सोशल मीडिया का प्रचलन भी अपराध को बढ़ावा दे रहा है एवं 37 प्रतिशत लोगों द्वारा वर्तमान समय में लोगों में सोशल मीडिया का प्रचलन भी अपराध को बढ़ावा दे रहा है का उत्तर नहीं बताया गया। 58 प्रतिशत लोगों का यह मानना है कि लोगों में निर्धनता क्या अपराध के प्रमुख कारणों में हैं एवं 42 प्रतिशत लोगों द्वारा लोगों में निर्धनता क्या अपराध के प्रमुख कारणों में हैं का उत्तर नहीं में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार कुल 62 प्रतिशत लोगों का यह मानना है कि आर्थिक कारणों से अपराध होते हैं एवं 38 प्रतिशत लोगों का मानना है कि आर्थिक कारणों से अपराध नहीं होते हैं। शोध क्षेत्र के बुद्धिजीवी वर्ग के 12 प्रतिशत, 13 प्रतिशत नौकरी पेशा, 12 प्रतिशत व्यापारी वर्ग और 21 प्रतिशत जनप्रतिनिधि व अन्य वर्ग के लोगों का यह मानना है कि आपके क्षेत्र में मद्यपान (नशाखोरी) के अपराध होते हैं।

**मुख्यशब्द** – रीवा जिला, जवा विकासखण्ड, समाज, विरुद्ध अपराध, समाजशास्त्रीय

## प्रस्तावना
आधुनिक समय पर समाज में जिस गति से उद्योग बढ़ रहे हैं व समाज विभिन्न क्षेत्र में विकसित होकर उन्नत कर रहा है ठीक उसी गति से समाज के परिप्रेक्ष्य में इन उद्योगों व आर्थिक गतिविधियों के साथ ही साथ कुछ विकृति मानसिकता वाले लोग जो समाज में ही रहकर समाज विरोधी कार्य करते रहते हैं जिन्हें समाजशास्त्र में अपराधी के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा किये गये समाजविरोधी कार्य जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। इन समाज विरोधी (तत्वों) लोगों द्वारा किये गये कार्यों से समाज में निवासरत जन सामान्य के लोगों को या उन लोगों को जो समाज में अन्य उत्तरदायित्वों के निर्वहन में लगे होते हैं उन्हें इन अपराधीगणों द्वारा किये गये कार्यों से संकट उत्पन्न होता है और इन संकटों के माध्यम से उन्हें कई स्वरूपों में कष्ट होता है। इन कष्टों के स्वरूप व्यक्ति, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, व्यावसायिक आदि किसी भी प्रकार का हो सकता है। समाज में इस प्रकार कार्य अपराध करने वालों की संख्या कम नहीं होती बल्कि इनके मानसिकता के लोग या अन्य किसी प्रकार की लालच, लगाव व अन्य कारणों से इनके साथ देने वाले भी मिल जाते हैं। इनको साथ देने वाले न भी मिलें तो ये समाज के सभ्य लोगों को परेशान करने के लिये पर्याप्त होते हैं।

मानव स्वभावतः एक संघर्षशील प्राणी है जिसके कारण अपराध–रहित समाज की कल्पना करना व्यर्थ होगा। वास्तव में देखा जाए तो ऐसा कोई समाज नहीं होगा जिसमें अपराध और अपराधियों की समस्या न हो। अपराध की परिकल्पना आवश्यक रूप से सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी हुई है। यह सर्वविदित है कि मानव हित समुदाय के सदस्य के रूप में ही भलीभांति संरक्षित रह सकते हैं। समाज के सदस्य के नाते प्रत्येक व्यक्ति के अन्य लोगों के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं और साथ ही दूसरे लोगों के भी उसके प्रति कुछ दायित्व होते हैं। अतः एक दूसरे के प्रति कर्तव्य और दायित्व ही समाज के व्यक्तियों के परस्पर सम्बन्धों को विनियमित करते हैं और इन्हीं से सामाजिक सुरक्षा सम्भव होती हैं, यद्यपि समाज के अधिक लोग जियो और जीने दो के सिद्धान्त में विश्वास करते हैं तथा एक दूसरे के अधिकारों तथा हितों का उचित ध्यान रखते हैं परन्तु कुछ थोड़े से व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो इस सामान्य आचरण से हटकर स्वयं को असामाजिक तत्वों के साथ जोड़ लेते हैं तथा

अवांछित कृत्यों में लगे रहने में ही अपना हित समझते हैं। अतः राज्य का यह परम दायित्व हो जाता है कि वह इन अवैध एवं असामाजिक तत्वों पर उचित नियंत्रण रखते हुए समाज में सामान्य शांति व्यवस्था बनाए रखे। विधि का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित कर सामाजिक सुरक्षा, सुनिश्चित करने का कार्य राज्य अपने कानूनों द्वारा निष्पादित करता है। यही कारण है कि विख्यात विधिशास्त्री सामण्ड ने विधि को समाज में मानव के आचरणों को विनियमित करने वाला साधन निरूपित किया है। ऐसे मानव आचरण जो किसी समय विशेष तथा समाज विशेष में कानून द्वारा प्रतिबन्धित या निषिद्ध होते हैं अपराध कहलाते हैं तथा जो कानून द्वारा प्रतिबन्धित नहीं है, वे विधिमान्य आचरण कहे जाते हैं। अपराध करने वाले व्यक्ति को उसके अपराध कृत्य के लिए स्थान विशेष की प्रचलित विधि के अनुसार दण्डित किया जाता है। [1]

समाज में घटित होने वाले अपराध जो जनसामान्य के साथ घटित हो रहे हैं। इनके सम्बन्ध में अनेक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त ग्रंथों के अध्ययन से संकलित तथ्यों एवं समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से प्राप्त तथ्यों को संकलित कर इस शोध पत्र में वर्णित किया गया है।

जनसामान्य के लोगों में से बुद्धिजीवी वर्ग, नौकरी पेशा वर्ग, व्यापारी वर्ग एवं जनप्रतिनिधि व समाज के अन्य वर्ग के लोगों से क्षेत्र में अपराध घटित होते हैं, अपराधी समाज के ही रहने वाले होते हैं, लोगों में सोशल मीडिया का प्रचलन अपराध को बढ़ावा दे रहा है एवं अपराध के कारणों में प्रमुख निर्धनता व आर्थिक समस्या है। इसी प्रकार मद्यपान (नशा) अपराधों का जन्मदाता है, इससे युवाओं को क्षति एवं अनेक परिवारों के नष्ट होने के सम्बन्ध आदि सभी बिन्दुओं पर जानकारी संग्रहित की जाकर तथ्यों के सम्बन्ध में आंकड़ों का संकलन किया गया है।

## शोध समस्या का सीमांकन

### भौगोलिक परिसीमन

प्रस्तुत शोध कार्य का क्षेत्र रीवा जिला के जवा विकासखण्ड को सम्मिलित किया गया है।

### विषयवस्तु का परिसीमन

अध्ययन की विषयवस्तु का परिसीमन रीवा जिले के जवा विकासखण्ड में व्यक्तियों व समाज के विरूद्ध अपराधः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।

## शोध विधियाँ

प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित विधियों एवं उपकरणों का उपयोग किया गया है –

### साक्षात्कार विधि

शोध क्षेत्र के जवा विकासखण्ड में व्यक्तियों व समाज के विरूद्ध अपराधः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन करने के लिए इस क्षेत्र में बुद्धिजीवी वर्ग, नौकरी पेशा वर्ग, व्यापारी वर्ग और जनप्रतिनिधि व समाज के अन्य वर्ग से वस्तुस्थिति का पता लगाने हेतु साक्षात्कार किया गया है।

### न्यादर्श चयन

रीवा जिले के जवा विकासखण्ड में व्यक्तियों व समाज के विरूद्ध अपराधः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन करने के लिए न्यादर्श के रूप में चयनित बुद्धिजीवी वर्ग 40, नौकरी पेशा वर्ग 40, व्यापारी वर्ग 40 और जनप्रतिनिधि व समाज के अन्य वर्ग 80 उत्तरदाताओं का चयन दैव निदर्शन पद्धति से साक्षात्कार हेतु किया गया है।

## परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या

रीवा जिले के जवा विकासखण्ड में व्यक्तियों व समाज के विरूद्ध अपराध के सम्बन्ध में विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलकर कुछ तथ्यों का संकलन किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है –

अध्ययन के समय समाज के अनेक वर्गों के लोगों से क्षेत्र में अपराध घटित हो रहे हैं, इसकी जानकारी निम्न लोगों के माध्यम से एकत्र की गयी है, उन तथ्यों की जानकारी निम्न सारणी से स्पष्ट है –

**सारणी 1:** शोध क्षेत्र में अपराध घटित घटनाओं का अध्ययन

| क्र. | वर्ग | आपके क्षेत्र में अपराध घटित होते हैं | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अभिमत | | हाँ | | नहीं | |
| | | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| 1 | बुद्धिजीवी वर्ग | 40 | 20 | 24 | 12 | 16 | 8 |
| 2 | नौकरी पेशा वर्ग | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 |
| 3 | व्यापारी वर्ग | 40 | 20 | 24 | 12 | 16 | 8 |
| 4 | जनप्रतिनिधि व समाज के अन्य वर्ग | 80 | 40 | 44 | 22 | 36 | 18 |
| योग | | 200 | 100 | 112 | 56 | 88 | 44 |

उक्त सारणी में आपके क्षेत्र में अपराध घटित होते हैं। निदर्शन पद्धति से चयनित समाज के 200 लोगों से प्राप्त किये गये जिनमें से बुद्धिजीवी वर्गों के 20 प्रतिशत, नौकरी पेशा वर्ग के 20 प्रतिशत, व्यापारी वर्ग के 20 प्रतिशत एवं जनप्रतिनिधि व अन्य वर्ग के 40 प्रतिशत लोगों के उत्तर इस प्रकार रहे। बुद्धिजीवी वर्ग के 12 प्रतिशत लोगों द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में अपराध घटित होते हैं जिसका उत्तर हाँ में दिया गया है, एवं 8 प्रतिशत लोगों द्वारा क्षेत्र में अपराध घटित होते हैं। इसका उत्तर नहीं में प्रस्तुत किया गया। नौकरी पेशा वर्ग के 10 प्रतिशत लोगों द्वारा उत्तर हाँ दिया गया है एवं 10 प्रतिशत लोगों द्वारा इसका उत्तर नहीं में बताया गया है। व्यापारी वर्ग के 12 प्रतिशत लोगों द्वारा इसका उत्तर हाँ में दिया गया एवं 8 प्रतिशत व्यापारी वर्ग के लोगों द्वारा इसका उत्तर नहीं में प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार जनप्रतिनिधि वं अन्य वर्ग के 22 प्रतिशत लोगों द्वारा इसका उत्तर हाँ में प्रस्तुत किये हैं एवं 18 प्रतिशत लोगों द्वारा इसका उत्तर नहीं मे दिया गया। इस प्रकार कुल 56 प्रतिशत लोगों का यह मानना है कि क्षेत्र में अपराध घटित होते हैं एवं 44 प्रतिशत लोगों का मानना है कि क्षेत्र में अपराध घटित हो रहे हैं। अध्ययन के समय समाज के अनेक वर्गो के लोगों से अपराधी समाज में ही रहने वाले होते हैं इसकी जानकारी जिन लोगों के माध्यम से एकत्र की गयी है उन तथ्यों की जानकारी निम्न सारणी से स्पष्ट है –

**सारणी 2:** शोध क्षेत्र में समाज के अनेक वर्गों के लोगों से अपराधी समाज में ही रहने वाले होते हैं, का अध्ययन

| क्र. | वर्ग | अपराधी समाज में ही रहने वाले होते हैं | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अभिमत | | हाँ | | नहीं | |
| | | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| 1 | बुद्धिजीवी वर्ग | 40 | 20 | 36 | 18 | 4 | 2 |
| 2 | नौकरी पेशा वर्ग | 40 | 20 | 38 | 19 | 2 | 1 |
| 3 | व्यापारी वर्ग | 40 | 20 | 34 | 17 | 6 | 3 |
| 4 | जनप्रतिनिधि व समाज के अन्य वर्ग | 80 | 40 | 70 | 35 | 10 | 5 |
| योग | | 200 | 100 | 178 | 89 | 22 | 11 |

उक्त सारणी में अपराधी समाज में ही रहने वाले होते हैं। निदर्शन पद्धति से चयनित समाज के 200 लोगों से प्राप्त किये गये जिनमें से बुद्धिजीवी वर्ग के 20 प्रतिशत, नौकरी पेशा वर्ग के 20 प्रतिशत, व्यापारी वर्ग के 20 प्रतिशत एवं जनप्रतिनिधि व अन्य वर्ग के 40 प्रतिशत लोगों के उत्तर इस प्रकार रहे। बुद्धिजीवी वर्ग के 18 प्रतिशत लोगों द्वारा बताया गया कि अपराधी समाज में ही रहने वाले होते हैं उत्तर हाँ में दिया गया है, एवं 2 प्रतिशत लोगों द्वारा अपराधी समाज में ही रहने वाले होते हैं इसका उत्तर नहीं में प्रस्तुत किया गया। नौकरी पेशा वर्ग के 19 प्रतिशत लोगों द्वारा अपराधी समाज में ही रहने वाले होते हैं इसका उत्तर हाँ में दिया गया है एवं 1 प्रतिशत लोगों द्वारा इसका उत्तर नहीं में बताया गया है। व्यापारी वर्ग के 17 प्रतिशत लोगों द्वारा बताया गया कि अपराधी समाज में ही रहने वाले होते हैं इसका उत्तर हाँ में दिया गया एवं 3 प्रतिशत व्यापारी वर्ग के लोगों द्वारा अपराधी समाज में ही रहने वाले होते हैं का उत्तर नहीं में प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार जनप्रतिनिधि एवं अन्य वर्ग के 35 प्रतिशत लोगों द्वारा अपराधी समाज में ही रहने वाले होते हैं का उत्तर हाँ में प्रस्तुत किये हैं एवं 5 प्रतिशत लोगों द्वारा इसका उत्तर नहीं में दिया गया। इस प्रकार कुल 89 प्रतिशत लोगों का यह मानना है कि अपराधी समाज में ही रहने वाले होते हैं एवं 11 प्रतिशत लोगो द्वारा इसका उत्तर नहीं में प्रस्तुत किया गया है।

अध्ययन के समय समाज के अनेक वर्गों मे लोगों से वर्तमान समय में लोगों में सोशल मीडिया का प्रचलन भी अपराध को बढ़ावा दे रहा है, इसकी जानकारी जिन लोगों के माध्यम से एकत्र की गयी है, उन तथ्यों की जानकारी निम्न सारणी से स्पष्ट है –

**सारणी 3:** वर्तमान समय में लोगों में सोशल मीडिया का प्रचलन भी अपराध को बढ़ावा दे रहा है, का अध्ययन

| क्र. | वर्ग | वर्तमान समय में लोगों में सोशल मीडिया का प्रचलन भी अपराध को बढ़ावा दे रहा है | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अभिमत | | हाँ | | नहीं | |
| | | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| 1 | बुद्धिजीवी वर्ग | 40 | 20 | 26 | 13 | 14 | 7 |
| 2 | नौकरी पेशा वर्ग | 40 | 20 | 28 | 14 | 12 | 6 |
| 3 | व्यापारी वर्ग | 40 | 20 | 26 | 13 | 14 | 7 |
| 4 | जनप्रतिनिधि व समाज के अन्य वर्ग | 80 | 40 | 46 | 23 | 34 | 17 |
| योग | | 200 | 100 | 126 | 63 | 74 | 37 |

उक्त सारणी में वर्तमान समय में लोगों में सोशल मीडिया का प्रचलन भी अपराध को बढ़ावा दे रहा है। प्रश्न का उत्तर निदर्शन पद्धति से चयनित समाज के 200 लोगों से प्राप्त किये गये जिनमें से बुद्धिजीवी वर्गों के 20 प्रतिशत, नौकरी पेशा वर्ग के 20 प्रतिशत, व्यापारी वर्ग के 20 प्रतिशत एवं जनप्रतिनिधि व अन्य वर्ग के 40 प्रतिशत लोगों के उत्तर इस प्रकार रहे। बुद्धिजीवी वर्ग के 13 प्रतिशत लोगों द्वारा बताया गया कि वर्तमान समय में लोगों में सोशल मीडिया का प्रचलन भी अपराध को बढ़ावा दे रहा है उत्तर हाँ में दिया गया है एवं 7 प्रतिशत लोगों द्वारा वर्तमान समय में लोगों में सोशल मीडिया का प्रचलन भी अपराध को बढ़ावा दे रहा है इसका उत्तर नहीं में प्रस्तुत किया गया। नौकरी पेशा वर्ग के 14 प्रतिशत लोगों द्वारा वर्तमान समय में लोगों में सोशल मीडिया का प्रचलन भी अपराध को बढ़ावा दे रहा है इसका उत्तर हाँ में दिया गया है, एवं 6 प्रतिशत लोगों द्वारा इसका उत्तर नहीं मे बताया गया है। व्यापारी वर्ग के 13 प्रतिशत लोगों द्वारा बताया गया कि वर्तमान समय में लोगों में सोशल मीडिया का प्रचलन भी अपराध को बढ़ावा दे रहा है इसका उत्तर हाँ में दिया गया एवं 7 प्रतिशत व्यापारी वर्ग के लोगों द्वारा वर्तमान समय में लोगों में सोशल मीडिया का प्रचलन भी अपराध को बढ़ावा दे रहा है इस प्रश्न का उत्तर नहीं में प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार जनप्रतिनिधि एवं अन्य वर्ग के 23 प्रतिशत लोगों द्वारा वर्तमान समय में लोगों में सोशल मीडिया का प्रचलन भी अपराध को बढ़ावा दे रहा है इस प्रश्न का उत्तर हाँ में प्रस्तुत किये हैं एवं 17 प्रतिशत लोगों द्वारा इसका उत्तर नहीं में दिया गया। इस प्रकार कुल 63 प्रतिशत लोगों का यह मानना है कि वर्तमान समय में लोगों में सोशल मीडिया का प्रचलन भी अपराध को बढ़ावा दे रहा है एवं 37 प्रतिशत लोगों द्वारा वर्तमान समय में लोगों में सोशल मीडिया का प्रचलन भी अपराध को बढ़ावा दे रहा है का उत्तर नहीं बताया गया।

अध्ययन के समय समाज के अनेक वर्गों के लोगों से लोगों में निर्धनता क्या अपराध के प्रमुख कारणों में हैं, इसकी जानकारी जिन लोगों के माध्यम से एकत्र की गयी है, उन तथ्यों की जानकारी निम्न सारणी से स्पष्ट है –

**सारणी 4:** लोगों में निर्धनता क्या अपराध के प्रमुख कारणों में हैं का अध्ययन

| क्र. | वर्ग | लोगों में निर्धनता क्या अपराध के प्रमुख कारणों में हैं | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अभिमत | | हाँ | | नहीं | |
| | | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| 1 | बुद्धिजीवी वर्ग | 40 | 20 | 22 | 11 | 18 | 9 |
| 2 | नौकरी पेशा वर्ग | 40 | 20 | 24 | 12 | 16 | 8 |
| 3 | व्यापारी वर्ग | 40 | 20 | 26 | 13 | 14 | 7 |
| 4 | जनप्रतिनिधि व समाज के अन्य वर्ग | 80 | 40 | 44 | 22 | 36 | 18 |
| योग | | 200 | 100 | 116 | 58 | 84 | 42 |

उक्त सारणी में लोगों में निर्धनता क्या अपराध के प्रमुख कारणों में हैं। उक्त प्रश्न का उत्तर निदर्शन पद्धति से चयनित समाज के 200 लोगों से प्राप्त किये गये जिनमें से बुद्धिजीवी वर्गों के 20 प्रतिशत, नौकरी पेशा वर्ग के 20 प्रतिशत, व्यापारी वर्ग के 20 प्रतिशत एवं जनप्रतिनिधि व अन्य वर्ग के 40 प्रतिशत लोगों के उत्तर इस प्रकार रहे। बुद्धिजीवी वर्ग के 11 प्रतिशत लोगों द्वारा बताया गया कि लोगों में निर्धनता क्या अपराध के प्रमुख कारणों में हैं उत्तर हां में दिया गया है, एवं 9 प्रतिशत लोगों द्वारा लोगों में निर्धनता क्या अपराध के प्रमुख कारणों में हैं इसका उत्तर नहीं में प्रस्तुत किया गया। नौकरी पेशा वर्ग के 12 प्रतिशत लोगों द्वारा लोगों में निर्धनता क्या अपराध के प्रमुख कारणों में हैं प्रश्न का उत्तर हाँ में दिया गया है, एवं 8 प्रतिशत लोगों द्वारा इसका उत्तर नहीं में बताया गया है। व्यापारी वर्ग के 13 प्रतिशत लोगों द्वारा बताया गया कि लोगों में निर्धनता क्या अपराध के प्रमुख कारणों में हैं इसका उत्तर हाँ में दिया गया एवं 7 प्रतिशत व्यापारी वर्ग के लोगों द्वारा लोगों में निर्धनता क्या अपराध के प्रमुख कारणों में हैं का उत्तर नहीं में प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार जनप्रतिनिधि एवं अन्य वर्ग के 22 प्रतिशत लोगों द्वारा लोगों में निर्धनता क्या अपराध के प्रमुख कारणों में हैं का उत्तर हाँ में प्रस्तुत किये हैं एवं 18 प्रतिशत लोगों द्वारा इसका उत्तर नहीं में दिया गया। इस प्रकार कुल 58 प्रतिशत लोगों का यह मानना है कि लोगों में निर्धनता क्या अपराध के प्रमुख कारणों में हैं एवं 42 प्रतिशत लोगों द्वारा लोगों में निर्धनता क्या अपराध के प्रमुख कारणों में हैं का उत्तर नहीं में प्रस्तुत किया गया।

अध्ययन के समय समाज के अनेक वर्गों के लोगों से आर्थिक कारणों से अपराध होते हैं, इसकी जानकारी निम्न लोगों के माध्यम से एकत्र की गयी है, उन तथ्यों की जानकारी निम्न सारणी से स्पष्ट है –

**सारणी 5:** आर्थिक कारणों से अपराध होते हैं, का अध्ययन

| क्र. | वर्ग | आर्थिक कारणों से अपराध होते हैं | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अभिमत | | हाँ | | नहीं | |
| | | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| 1 | बुद्धिजीवी वर्ग | 40 | 20 | 28 | 14 | 12 | 6 |
| 2 | नौकरी पेशा वर्ग | 40 | 20 | 26 | 13 | 14 | 7 |
| 3 | व्यापारी वर्ग | 40 | 20 | 24 | 12 | 16 | 8 |
| 4 | जनप्रतिनिधि व समाज के अन्य वर्ग | 80 | 40 | 46 | 23 | 34 | 17 |
| योग | | 200 | 100 | 124 | 62 | 76 | 38 |

उक्त सारणी में आर्थिक कारणों से अपराध होते हैं। निदर्शन पद्धति से चयनित समाज के 200 लोगों से प्राप्त किये गये जिनमें से बुद्धिजीवी वर्गों के 20 प्रतिशत, नौकरी पेशा वर्ग के 20 प्रतिशत, व्यापारी वर्ग के 20 प्रतिशत एवं जनप्रतिनिधि व अन्य वर्ग के 40 प्रतिशत लोगों के उत्तर इस प्रकार रहे। बुद्धिजीवी वर्ग के 14 प्रतिशत लोगों द्वारा आर्थिक कारणों से अपराध होते हैं का उत्तर हाँ में दिया गया एवं 6 प्रतिशत लोगों द्वारा आर्थिक कारणों से अपराध होते हैं इसका उत्तर नहीं में प्रस्तुत किया गया। नौकरी पेशा वर्ग के 13 प्रतिशत लोगों द्वारा आर्थिक कारणों से अपराध होते हैं इसका उत्तर हाँ में दिया गया है, एवं 7 प्रतिशत लोगों द्वारा इसका उत्तर नहीं में बताया गया है। व्यापारी वर्ग के 12 प्रतिशत लोगों द्वारा आर्थिक कारणों से अपराध होते हैं इसका उत्तर हाँ में दिया गया एवं 8 प्रतिशत व्यापारी वर्ग के लोगों द्वारा आर्थिक कारणों से अपराध होते हैं का उत्तर नहीं में प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार जनप्रतिनिधि एवं अन्य वर्ग के 23 प्रतिशत लोगों द्वारा आर्थिक कारणों से अपराध होते हैं का उत्तर हाँ में प्रस्तुत किये हैं एवं 17 प्रतिशत लोगों द्वारा इसका उत्तर नहीं में दिया गया। इस प्रकार कुल 62 प्रतिशत लोगों का यह मानना है कि आर्थिक कारणों से अपराध होते हैं एवं 38 प्रतिशत लोगों का मानना है कि आर्थिक कारणों से अपराध नहीं होते हैं।

अध्ययन के समय समाज के अनेक वर्गो के लोगों से आपके क्षेत्र में मद्यपान (नशाखोरी) के अपराध होते हैं, इसकी जानकारी निम्न लोगों के माध्यम से एकत्र की गयी है। उन तथ्यों की जानकारी निम्न सारणी से स्पष्ट है –

**सारणी 6:** आपके क्षेत्र में मद्यपान (नशाखोरी) के अपराध होते हैं का अध्ययन

| क्र. | वर्ग | आपके क्षेत्र में मद्यपान (नशाखोरी) के अपराध होते हैं | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अभिमत | | हाँ | | नहीं | |
| | | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| 1 | बुद्धिजीवी वर्ग | 40 | 20 | 24 | 12 | 16 | 8 |
| 2 | नौकरी पेशा वर्ग | 40 | 20 | 26 | 13 | 14 | 7 |
| 3 | व्यापारी वर्ग | 40 | 20 | 24 | 12 | 16 | 8 |
| 4 | जनप्रतिनिधि व समाज के अन्य वर्ग | 80 | 40 | 42 | 21 | 38 | 19 |
| योग | | 200 | 100 | 116 | 50 | 84 | 42 |

उक्त सारणी में आपके क्षेत्र में मद्यपान (नशाखोरी) के अपराध होते हैं। निदर्शन पद्धति से चयनित समाज के 200 लोगों से प्राप्त किये गये जिनमें से बुद्धिजीवी वर्गो के 20 प्रतिशत, नौकरी पेशा वर्ग के 20 प्रतिशत, व्यापारी वर्ग के 20 प्रतिशत एवं जनप्रतिनिधि व अन्य वर्ग के 40 प्रतिशत लोगों के उत्तर इस प्रकार रहे। बुद्धिजीवी वर्ग के 12 प्रतिशत लोगों द्वारा बताया गया कि आपके क्षेत्र में मद्यपान (नशाखोरी) के अपराध होते हैं उत्तर हाँ में दिया गया है, एवं 8 प्रतिशत लोगों द्वारा आपके क्षेत्र में मद्यपान (नशाखोरी) के अपराध होते हैं इसका उत्तर नहीं में प्रस्तुत किया गया। नौकरी पेशा वर्ग के 13 प्रतिशत लोगों द्वारा आपके क्षेत्र में मद्यपान (नशाखोरी) के अपराध होते हैं इसका उत्तर हाँ में दिया गया है, एवं 7 प्रतिशत लोगों द्वारा इसका उत्तर नहीं में बताया गया है। व्यापारी वर्ग के 12 प्रतिशत लोगों द्वारा बताया गया कि आपके क्षेत्र में मद्यपान (नशाखोरी) के अपराध होते हैं इसका उत्तर हाँ में दिया गया एवं 8 प्रतिशत व्यापारी वर्ग के लोगों द्वारा आपके क्षेत्र में मद्यपान (नशाखोरी) के अपराध होते हैं का उत्तर नहीं में प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार जनप्रतिनिधि एवं अन्य वर्ग के 21 प्रतिशत लोगों द्वारा आपके क्षेत्र में मद्यपान (नशाखोरी) के अपराध होते हैं का उत्तर हाँ में प्रस्तुत किये हैं एवं 19 प्रतिशत लोगों द्वारा इसका उत्तर नहीं में दिया गया। इस प्रकार कुल 58 प्रतिशत लोगों का यह मानना है कि आपके क्षेत्र में मद्यपान (नशाखोरी) के अपराध होते हैं एवं 42 प्रतिशत लोगों द्वारा आपके क्षेत्र में मद्यपान (नशाखोरी) के अपराध होते हैं उत्तर नहीं बताया गया।

अध्ययन क्षेत्र में व्याप्त समाज विरूद्ध अपराधों का विवरण कुछ का इस प्रकार है –

## सामान्य व्यक्ति के विरूद्ध अपराध

अध्ययन क्षेत्र के तथ्यों को संग्रहित करने पर तथ्य प्राप्त हुए हैं कि अध्ययन क्षेत्र में सामान्य व्यक्तियों के विरूद्ध घटित होने वाले भारतीय दण्ड विधान की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत उल्लेखित अपराध घटित होते हैं। इन्हीं अपराधों के साथ अन्य विधानों के भी अपराध जन सामान्य के विरूद्ध घटित होते हैं, जिन्हें अध्ययन की सहजता की दृष्टि से निम्न स्वरूपों में अध्ययन किया गया है –

## शरीर सम्बन्धी अपराध

### हत्या

अध्ययन क्षेत्र हत्या जैसे जघन्य अपराध घटित होते हैं। हत्या के अपराध कभी–कभी सामान्य सी बातों में हो जाते हैं। हत्या होने के कारणों में लोगों को सम्पत्ति सम्बन्धी व जमीनी विवादों को देखा गया है। कभी–कभी बहुत छोटे–छोटे लेन–देन का विवाद, इतना अधिक बढ़ जाता है कि उक्त लेन–देन के उपजे विवाद का परिणाम हत्या में परिवर्तित हो जाता है।

### हत्या का प्रयास

अध्ययन क्षेत्र में कुछ घटनाएँ हत्या के प्रयास जैसी भी घटित हुई है। हत्या का प्रयास लोग आपसी विवादों में कर देते हैं जो संयोग से चोट कम लगने से एवं समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाने पर लोग बच जाते हैं। इसमें अपराधी अपनी ओर से तो हत्या ही करता है, परन्तु परिस्थितियाँ पीड़ित के अनुकूल हो जाने से समय पर समुचित व्यवस्था हो जाने से घायल व्यक्ति को बचाने वाले प्रयास सफल हो जाने से वह व्यक्ति बच जाता है। सामान्यतः देखा जाता है कि लोगों में जागरूकता का अभाव होने से ही ऐसे गंभीर अपराध घटित होते हैं। लोगों की मानसिकता बदलने के लिये जन सामान्य को शिक्षित किया जाना व अपराधों के बारे में जागरूक किया जाना उचित है, परन्तु समाज में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। माध्यमिक स्तर की शिक्षा में अपराधों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारियों का समावेश किया जाना चाहिए जिससे समाज को ऐसे गंभीर अपराधों की घटनाओं से बचाने के उपाय हो सके। अपराधों का बढ़ना समाज व देश के हित में उचित नहीं है।

### अपहरण

अपहरण जैसे गंभीर अपराध अध्ययन क्षेत्र में अत्यधिक घटित होते हैं। वर्तमान समय पर अपहरण के अपराध बढ़ने के कारण कुछ इस प्रकार हैं कि ये अपराध तो सदैव से घटित होते थे परंतु इस ओर किसी की निगाह नहीं गयी। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में नोबल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी के द्वारा प्रस्तुत याचिका के निर्णय में सम्पूर्ण देश की पुलिस को व सरकारों को यह निर्देशित किया गया था कि किसी भी बच्चे (मानव) के गुमने पर उसे अपहरण माना जावे और अपहरण का अपराध पंजीबद्ध किया जावे। उक्त निर्देश के पालन में कुछ अपहरण के अपराधों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है।

अध्ययन क्षेत्र में अनेक अपहरण दस्युओं द्वारा रकम (पैसे) लेने के लिये किया जाता है। इसी प्रकार के अपराध, अध्ययन क्षेत्र के अतिरिक्त भागों में भी देखने को प्राप्त होते हैं। जब दस्यु किसी व्यक्ति का अपहरण पैसे के लिए करते हैं तब अपहृत व्यक्ति को ये दस्यु अपने साथ लेकर जंगलों में भटकते–घूमते रहते हैं। इस स्थिति में उस व्यक्ति को खाना–पानी भी नसीब नहीं होता और साथ ही उनके साथ पैदल भी चलना पड़ता है। बहुत से अपहृत व्यक्ति बीमार रहते हैं, ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के कष्ट और बढ़ जाते हैं। अपहरण के बाद डकैत पैसा (फिरोती) लेने के बाद ही छोड़ते हैं, यदि फिरौती की रकम नहीं पाते हैं तब अपहृत व्यक्ति की हत्या तक कर देते हैं। समाज में फैला यह अपहरण अत्यन्त गंभीर अपराध है, जो किसी भी उम्र के व्यक्ति के साथ घटित हो सकता है।

## सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध

### चोरी

चोरी भी व्यक्ति के विरूद्ध ही अपराध है। किसी व्यक्ति के धन की चोरी व्यक्ति विरूद्ध ही अपराध कहलायेंगे। लोगों में अवैध तरीके से धन अर्जन करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही चोरी का प्रमुख उद्देश्य है। कुछ व्यक्ति अपनी शारीरिक अक्षमताओं के कारण भी यह मार्ग अपना लेते हैं। परन्तु मुख्य कारण यही होता है कि मेहनत व ईमानदारी से धन कमाने में श्रम व समय अधिक लगने के कारण कम समय व कम मेहनत से चोरी करना उचित समझने लगे हैं और इसी से अपना जीवनयापन करने लगते हैं। बहुत से लोगों में चोरी की आदत पड़ जाती है, ऐसे लोग चोरी कर ही लेते हैं, चाहे चोरी की हुई वस्तु उनके काम की हो या न हो। बहुत से सभ्रान्त परिवार के लोगों में चोरी करने की आदत हो जाती है, भले ही उनके पास कोई मजबूरी न हो। प्रसिद्ध अपराधशास्त्री लोम्ब्रोसो ने ऐसे अपराधियों को जन्मजात अपराधी कहा है।

### लूट

अध्ययन क्षेत्र में लूट की घटनाएँ होती रहती है। अध्ययन क्षेत्र में बेरोजगारी की वजह से नवयुवक वर्ग के ऐसे लोग जिन्हें कोई नौकरी या व्यवसाय नहीं मिला, इस तरह के लोग इन अपराधों की ओर आसानी से झुक जाते हैं और अपराध करने लगते हैं। लूट का अपराध ऐसा सहज व धन कमाने का इतना सरल तरीका होता है कि लोग आसानी से इसका चुनाव कर लेते हैं। लूट की परिभाषा भारतीय दण्ड विधान की धारा 390 में वर्णित है, [2] जिनके दण्ड का विवरण लूट की प्रकृति के अनुरूप धारा 392 से 394 तक में उल्लेखित है। [3]

लूट में मुख्यतः दो या दो से अधिक व्यक्ति जो पांच से संख्या में मिलकर किसी व्यक्ति से बलपूर्वक उसकी सम्पत्ति ले लेना ही है, जो वर्तमान समय पर लोगों में प्रचलन हो चुका है। इन्हीं के साथ लोगों द्वारा आम रास्त में या रोड पर चलते–चलते मोबाइल पर बात करना, बैंक या पोस्ट आफिस इत्यादि स्थानों से पैसे लेकर रोड में चलने पर लोग पैसे या मोबाइल छीन कर भाग जाते हैं। इस समय पर महिलाओं के गले से चैन छीनकर भाग जाना भी इसी प्रकार का अपराध हैं, इस तरह लूट की घटनायें सामान्य रूप से देखने को मिलती है।

## डकैती

अध्ययन क्षेत्र में डकैती समस्या से लोग कई दशक से पीड़ित हैं। डकैती का मुख्य कारण यह है कि यह क्षेत्र उत्तरप्रदेश के बांदा जिला जिसका भाग अब चित्रकूट जिला है एवं इलाहाबाद जिला से लगा हुआ है। जहाँ पर पिछले कई दशकों से डकैतों के कई सरगना हुए हैं। ये दस्यु सरगना उत्तरप्रदेश में या तो मात्र निवास करते हैं, परन्तु डकैती जैसे जघन्यापराध मध्यप्रदेश में आकर घटित करते हैं।

तहसील जवा थाना अतरैला क्षेत्र के ग्राम चौखण्डी में 2 मार्च 1982 को फूलचन्द्र गुप्ता के घर रात्रि में डकैती डाली गयी थी। उक्त डकैती संभवतः उत्तरप्रदेश के बांदा जिला के थाना मऊ क्षेत्र का निवासी दस्यु जगत पाल पासी अपने दस्यु गिरोह के साथ डाला था। [4] इसी प्रकार वर्ष 1984 में दस्यु ददुआ उर्फ शिवकुमार द्वारा थाना डभौरा तहसील जवा जिला रीवा के ग्राम डभौरा बस्ती के पास खेतों से कृष्ण कुमार तिवारी को पकड़कर अपहरण कर लिये थे जिसे बाद में ददुआ द्वारा गोली मार दी गयी थी। [5] अध्ययन क्षेत्र में दस्यु गया बाबा, जगतपाल पासी, ददुआ उर्फ शिवकुमार, राधे उर्फ सूबेदार, रम्या उर्फ रामपाल यादव, आदि अनेक डकैतों का कार्यक्षेत्र अध्ययन क्षेत्र ही रहा है। पनवार, डभौरा, अतरैला एवं जवा क्षेत्रों में कई डकैतियाँ इन गिराहों द्वारा डाली गयी है। इन क्षेत्रों में लोगों का जीना दुस्वार हो गया था। दिन डूबने के बाद इस क्षेत्र में लोगों के घर के दरवाजे नहीं खुलते थे।

उक्त क्षेत्र से दस्युओं से निजात पाने के लिये पुलिस बल के पसीने छूट गये थे। वास्तविकता तो यह थी कि पुलिस स्वयं इतनी भयभीत रहती थी कि कब और कहाँ से डकैती की सूचना आ जाये। परन्तु उक्त अवधि में पुलिस द्वारा नियमित गस्त व पेट्रोलिंग कर डकैती में नियंत्रण करने हेतु अथक प्रयास किया गया। यह सत्य भी है कि देर से ही सही कारण कुछ भी रहे हों परन्तु डकैती समस्या में नियंत्रण हुआ व जनमानस को इससे काफी हद तक मुक्ति भी मिली।

## धोखाधड़ी

वर्तमान समय पर विश्व में इस प्रकार के अपराधों की भरमार है। कुछ समय पूर्व सामान्यतः धोखाधड़ी अपराध बहुत कम होते थे परन्तु विगत दो तीन दशकों से धोखाधड़ी के अपराधों में अचानक से बाढ़ सी आ गयी है। पूर्व में लोग आपसी लेनदेन या जमीनों की रजिस्ट्री आदि में ही फर्जीवाड़ा करते थे, इसलिये इन अपराधों की कुछ कमी थी। अब तो मोबाइल एवं इंटरनेट के कारण डिजिटल विकास से लोगों के साथ बैंकों व लेनदेन धोखाधड़ी के अपराधों में इजाफा हो गया है।

इस प्रकार धोखाधड़ी से समूचा समाज पीड़ित है, परन्तु इससे बचने के कोई सार्थक उपाय नहीं है। मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से घटित होने अपराध अलग अलग प्रकार का है। इससे बचने के लिये भी और इसके आरोपियों पर नियत्रंण के लिये सायबर सेल का सहयोग लेना पड़ता है, जिसकी शाखायें सामान्यतः जिला मुख्यालयों में खोली जाती है। परन्तु समुचित कार्यवाहियाँ करने में अनेक छोटी छोटी समस्याएँ आती रहती हैं। वर्तमान समय पर अध्ययन क्षेत्र में भी धोखाधड़ी की अनेक घटनाएँ घटित हुई है। धोखाधड़ी के अपराध से जन सामान्य में एक नई समस्या उत्पन्न हुई है। लोगों को मोबाइल फोन के माध्यम से विभिन्न प्रकार की लालच देकर कि आप इनाम जीत गये हैं, आपको लाटरी खुल गई है आदि विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर उनसे ये अपराधी अपने खातों में पैसे डलवा लेंगे या लोगों के खाता नम्बर लेकर ओ.टी.पी. (वन टाइम पासवर्ड) पूछकर पैसे अपने खातों में ट्रांसफर कर लेंगे। इस तरह की घटनाएँ प्रतिदिन होती रहती है लोगों को विभिन्न प्रकार के समझाइस दी जाती है कि इस प्रकार की घटनाओं से व प्रलोभन देने वालों से सावधान रहें। परन्तु इसके बाद भी अनेक पढ़े–लिखे शिक्षित व्यक्ति इनके जाल में आ जाते हैं। इस प्रकार से धोखाधड़ी के प्रकरणों का वर्तमान समय पर इजाफा हुआ है और इस प्रकार के अपराधों में नियंत्रण के कोई समुचित उपाय अभी तक नहीं प्राप्त हो सके हैं।

## समाज के विरूद्ध अपराध

इसमें ऐसे अपराधों के विषय मे बताया गया है, जो समाज के विरूद्ध अपराध घटित हो रहे हैं। समाज में घटित होने वाले अपराध कोई बाहर से आये लोगों द्वारा नहीं किये जाते हैं, बल्कि इसी समाज में हम सबके बीच पले, बढ़े लोगों में से ही कुछ का पालन पोषण ऐसी परिस्थिति में कुछ कारणवश होता है जहाँ से ये अपराध करना सीख जाते हैं। अपराध करना यह नहीं माना जा सकता है कि ये किसी दबाब या परिस्थितिवश करते हैं बल्कि यह कहा जा सकता है कि अपराध घटित करने वाले लोग सामान्यतः अपनी इच्छा से ही करते हैं, संभवतः अपराध करने से ही इनके मन को संतुष्टि प्राप्त होती होगी।

समाज विरोधी अपराधों में सामान्यतः वे अपराध आते हैं जो समाज के नियम के विरोध में हो। समाज के लिए हानिकारक हों। ऐसे अपराधों से समाज को क्षति पहुंचती हो। समाज विरोधी कार्य वर्तमान समय पर बहुत है। बहुत से ऐसे अपराध हैं, जो समाज को खोखला कर रहे हैं। समाज में फैली वर्तमान समय पर आम लोगों की नशे की आदतें जिससे पूरा समाज परेशान है। लोगों का रहना व जीना दूभर हो चुका है। समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा वर्तमान समय में नशा करने में व कुछ लोग नशीली वस्तुओं के परिवहन में लगा हुआ है। इन्हीं समाज विरोधी अपराधों के सम्बन्ध में समाज में फैली इन विकृतियों के तथ्यों को संकलित किया जाकर इस अध्याय में अध्ययन किया गया।

अध्ययन क्षेत्र में शराब, गांजा, व कुछ दवाइयाँ जिनका उपयोग नशे के रूप में किया जाता है, बहुतायत में पायी जाती है। इन नशीली वस्तुओं को पुलिस द्वारा पकड़ा भी जाता है पर पुलिस का पकड़ना इनके नियंत्रण के लिये पर्याप्त होना प्रतीत नहीं होता है। अध्ययन क्षेत्र में जुआं सट्टा की भी धटनाएँ होती रहती हैं ये अपराध भी समाज विरोधी अपराध ही है।

समाज के विरूद्ध घटित अपराधों में मुख्य रूप से अवैध ड्रग्स खरीदना, बेचना, जुआ सट्टा, अफीम, गांजा, शराब के साथ ही आतंकवाद एवं सायबर अपराध भी समाज विरोधी अपराध के साथ राष्ट्र विरोधी कार्य (अपराध) हैं। इन बिन्दुओं पर तथ्यात्मक जानकारी संग्रहित करने हेतु अनुसूची के माध्यम से इन अपराधों के घटित होने में सहयोगियों एवं नियंत्रण में उपायों के सम्बन्ध में अध्ययन किया गया है।

## निष्कर्ष

अध्ययन के दौरान शोध के निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए है–

- समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से इस सन्दर्भ में अध्ययन के समय जानकारी प्राप्त की गयी जिसमें 56 प्रतिशत लोग जिनमें बुद्धिजीवी वर्ग के 12 प्रतिशत, नौकरी पेशा 10 प्रतिशत, व्यापारी वर्ग 12 प्रतिशत एवं जनप्रतिनिधि व अन्य

वर्ग के 22 प्रतिशत लोगों द्वारा क्षेत्र में अपराध घटित होते हैं के सम्बन्ध में हाँ बताया गया है।

- बुद्धिजीवी वर्ग के 18 प्रतिशत, 19 प्रतिशत नौकरी पेशा, 17 प्रतिशत व्यापारी वर्ग और 35 प्रतिशत जनप्रतिनिधि व अन्य वर्ग के लोगों द्वारा बताया गया कि अपराधी समाज में ही रहने वाले होते हैं उत्तर हाँ में दिया गया है। 89 प्रतिशत न्यादर्श में चयनित उत्तरदाताओं ने शोध क्षेत्र में समाज के अनेक वर्गों के लोगों से अपराधी समाज में ही रहने वाले होते हैं, जबकि 11 प्रतिशत ने माना है कि अपराधी समाज में नही रहने वाले होते है।
- शोध क्षेत्र के 63 प्रतिशत लोगों का यह मानना है कि वर्तमान समय में लोगों में सोशल मीडिया का प्रचलन भी अपराध को बढ़ावा दे रहा है एवं 37 प्रतिशत लोगों द्वारा वर्तमान समय में लोगों में सोशल मीडिया का प्रचलन भी अपराध को बढ़ावा दे रहा है का उत्तर नहीं बताया गया।
- शोध क्षेत्र के 58 प्रतिशत लोगों का यह मानना है कि लोगों में निर्धनता क्या अपराध के प्रमुख कारणों में हैं एवं 42 प्रतिशत लोगों द्वारा लोगों में निर्धनता क्या अपराध के प्रमुख कारणों में हैं का उत्तर नहीं में प्रस्तुत किया गया।
- शोध क्षेत्र के बुद्धिजीवी वर्ग के 14 प्रतिशत, 13 प्रतिशत नौकरी पेशा, 12 प्रतिशत व्यापारी वर्ग और 23 प्रतिशत जनप्रतिनिधि व अन्य वर्ग के लोगों का यह मानना है कि आर्थिक कारणों से अपराध होते हैं।
- इस प्रकार कुल 58 प्रतिशत लोगों का यह मानना है कि आपके क्षेत्र में मद्यपान (नशाखोरी) के अपराध होते हैं एवं 42 प्रतिशत लोगों द्वारा आपके क्षेत्र में मद्यपान (नशाखोरी) के अपराध होते हैं उत्तर नहीं बताया गया।

## संदर्भ


1. परांजपे, डा. ना.वि. अपराधशास्त्र एवं दण्ड प्रशासन, पृष्ठ 3
2. तम्बोली, ल.प्र. एवं झा.सी.एन. भारतीय दण्ड न्यायालय संग्रह, पृष्ठ 100
3. तम्बोली ल.प्र. एवं झा.सी.एन. भारतीय दण्ड न्यायालय संग्रह, पृष्ठ 101
4. मिश्र डॉ. शालिकराम दस्यु उन्मूलन पर पुलिस की भूमिका, पृष्ठ 185
5. मिश्र डॉ. शालिकराम दस्यु उन्मूलन पर पुलिस की भूमिका, पृष्ठ 174